न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 04/2012

प्रार्थी
तहसीलदार पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण
1. जोगा पुत्र दुर्गसिंह
2. भूरा पुत्र दुर्गसिंह
3. कानसिंह पुत्र दुर्गसिंह
4. मगसिंह पुत्र दुर्गसिंह
5. गवारी बेवा दुर्गसिंह
6. ओमसिंह पुत्र बागसिंह
7. सुआ बेवा बागा
   जति राणा राजपूत निवासी
   वेदरलाई तहसील पचपदरा
8. पप्पूदेवी पुत्री बागसिंह जाति
   राणा राजपूत निवासी पचपदरा

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित– 1. श्री किशनलाल उप तहसीलदार जसोल अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 8 उपस्थित।

निर्णय **दिनांक 15.06.2016**

1. संक्षेप में राजस्व आवेदन पत्र के तथ्य इसप्रकार हैं कि गांव वेदरलाई के खसरा नबर 18 रकबा 07.07 बीघा भूमि दुर्गा, बागा पि. कोजा कौम राजपूत सा. वेदरलाई के नाम दर्ज थी। दुर्गा व बागा की मृत्यु उपरांत उनके वारिसान के नाम दर्ज कर नामान्तरकरण संख्या 383 दिनांक 20. 5.2011 पारित किया गया। पप्पुदेवी पुत्री बागसिंह (बागा) जो पचपदरा में रहती थी द्वारा स्वयं को बागसिंह का वारिसान बताया जाकर अपना नाम उक्त नामान्तरकरण में इन्द्राज होने से रह जाना बताते हुए, नाम दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी जांच करवाये जाने पर यह तथ्य सही पाया गया कि पप्पूदेवी, बागसिंह की पुत्री है। पप्पूदेवी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण आवेदन पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत पेश कर उक्त नामान्तरकरण संख्या 382 दिनांक 20.5.2011 को निरस्त करने हेतु पेश गया किया है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

2. हमने राजस्व आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया।

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार राजस्व केम्प कोर्ट पचपदरा मे प्रस्तुत हुई, जिसके लिए उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामिल करा दी गई थी। प्रार्थी की ओर से उप तहसीलदार जसोल उपस्थित रहे। विप्रार्थी संख्या 01 से 07 तक अनुपस्थित एवं विप्रार्थी संख्या 08 उपस्थित हुई।

4. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। आवेदन पत्र से संबंधित रेकर्ड एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार पचपदरा द्वारा दुर्गा व बागा की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसायन के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये गये जिसमें पप्पूदेवी का नाम दर्ज नहीं हो सका, यह तथ्य सही पाये जाने के पश्चात पप्पूदेवी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना नियमानुसार एवं विधि सम्मत है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 382 दिनांक 20.5.2011 को अपास्त किया जाता है और मामला तहसीलदार पचपदरा को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता हैं कि तथ्यों की पूर्ण जानकारी रेकर्ड पर ली जाकर प्रकरण में विधि सम्मत कार्यवाही करें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर

(ओ.पी.बिश्नाई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश खुले न्यायालय केम्प कोर्ट पचपदरा में आज दिनांक 15.06.2016 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)